मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स लिमिटेड (डिस्टीलरी परियोजना), ग्राम + पोस्ट–हरिनगर, प्रखंड–रामनगर, जिला–पश्चिमी चम्पारण द्वारा इथेनॉल उत्पादन क्षमता का विस्तार 45 किलो लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 120 किलो लीटर प्रतिदिन तथा कैप्टिव पावर उत्पादन क्षमता 1.5 मेगावाट से बढ़ाकर 6.5 मेगावाट करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांक–09.06.2018 को आर्य समाज मंदिर, आर्यनगर, हरिनगर, जिला–पश्चिम चम्पारण में आयोजित लोक–सुनवाई का वृत्त।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत पर्याचवरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत टी. ओ.आर. (पर्यावरण विचारो) पत्र संख्या–**IA-J-11011/463/2017-IA-II(I)**] दिनांक–26.10.2017 के आलोक में श्री अंसार अहमद, अपर समाहर्त्ता, पश्चिमी चम्पारण की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक–09.06.2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आर्य समाज मंदिर, आर्यनगर, हरिनगर, जिला–पश्चिमी चम्पारण में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी–**अनुलग्नक–1.**

उक्त लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, पटना संस्करण एवं हिन्दुस्तान, दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण, मुजफ्फरपुर संस्करण के माध्यम से लोक–सुनवाई के 30 दिन पूर्व दिनांक–08.05.2018 द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

लोक–सुनवाई के दौरान श्री एस.एन. जायसवाल, पर्षद् विश्लेषक, बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, पटना एवं श्री अनिल कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, मुजफ्फरपुर, द्वारा, लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाईयों के पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि एवं प्रस्तावित क्षमता विस्तार प्रस्ताव पर प्रकाश डाला।

लोक–सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अंसार अहमद, अपर समाहर्त्ता, पश्चिमी चम्पारण के अनुमति से लोक–सुनवाई का संचालन किया गया। परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डॉ. एस. प्रसाद ने इकाई के उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं उद्यमी समाजिक प्रतिबद्धता (ई.एस.सी) आदि के संबंध में आम–जनों

को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि इकाई का प्रस्तावित विस्तार वर्त्तमान परिसर में हीं किया जायेगा। इसके लिए अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा तथा विस्थापन की कोई समस्या नहीं है। मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स लिमिटेड (डिस्टीलरी इकाई) विस्तार से इथेनॉल की उत्पादन क्षमता 45 किलो लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 120 किलो लीटर प्रतिदिन और कैपटिव पावर उत्पादन क्षमता 1.5 मेगावाट से बढ़ाकर 6.5 मेगावाट उत्पादन किया जाना है। प्रस्तावित परियोजना में चीनी मिल से बाई प्रोडक्ट के रूप में जनित मोलासेस का उपयोग कच्चा माल के रूप में तथा बगास का उपयोग ब्यॉलर में ईंधन के रूप में की जायेगी। विस्तारित परियोजना के लिये 1020 किलोलीटर प्रतिदिन भूमि जल की आवश्यकता होगी। इकाई द्वारा इथेनॉल उत्पादन के क्रम में जनित औद्योगिक बहिश्राव (Spent wash) का उपचार एवं निपटान बायोमिथेनेशन, बहुप्रभावी वाष्पीकरण (MEE) एवं जैविक खाद निर्माण की तकनीक से की जायेगी। जल प्रदूषण की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। किसी भी प्रकार का दूषित जल इकाई परिसर के बाहर निस्तारित नहीं की जायेगी। परियोजना परिसर से बहिश्राव 'शून्य' स्थिति बनायी जायेगी। बगास ईंधन पर आधारित एक अतिरिक्त 35 टी.पी.एच. वाष्प जनन क्षमता का एक ब्वायलर लगाया जायेगा। इसमें वायु-प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 'इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेस्पिटेटर' स्थापित की जायेगी। प्रस्तावित परियोजना में चिमनी की उंचाई 65 मीटर रखी जायेगी। बगास का उपयोग ब्वायलर में ईंधन के रूप में किया जायेगा।उनके द्वारा बताया गया कि डिस्टलरी इकाई द्वारा पर्यावरणीय मानको का पूर्णतः पालन किया जायेगा। परियोजना परिसर के 33 प्रतिशत क्षेत्र, 1.75 हे० को हरित पट्टी के रूप में विकसित किये जाने का भी प्रस्ताव है। वर्षा जल संचयन योजना भी प्रस्तावित है। इकाई के विस्तारीकरण की कुल पूंजीगत लागत 4612.5 लाख रूपये होगी। इसमें से 355 लाख रूपये प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था पर खर्च की जायेगी। इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा सोसल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत क्षेत्र के विकास एवं जन-समुदायी के लिए हितकारी योजना में परियोजना लागत का 2 प्रतिशत व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

उक्त प्रस्तुती के पश्चात अध्यक्ष द्वारा परियोजना प्रबंधन से इकाई के विस्तार की आवश्यकता की पृष्ठभूमि पर सरल भाषा प्रकाश डालने का निदेश दिया गया। तदुउपरान्त श्री एस.एल. बहैती, मुख्य महाप्रबंधक, सर्वश्री हनिनगर सुगर मिल्स (डिस्टलरी डिविजन)

द्वारा बताया गया कि भारत सरकार के ईंधन नीति के अनुसार पावर इथेनॉल का उपयोग पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में किया जाता हैं। पूर्व में डिस्टलरी इकाई में Rectified Sprit का उत्पादन किया जाता था। परन्तु, राज्य सरकार के नीति के आलोक में अब डिस्टलरी इकाईयों द्वारा इथेनॉल का उत्पादन पावर अल्कोहल के रूप में किया जाता है। राज्य में गन्ने का उत्पादन काफी हो रहा है। इस कारण चीनी मिलों से मोलासेस का जनन की मात्रा बढ़ी है, जिसे डिस्टलरी में कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाना है। मोलासेस का पूर्णतः उपयोग डिस्टलरी द्वारा सुनिश्चित किये जाने हेतु डिस्टलरी इकाई के विस्तार की योजना बनायी गयी है। इस इकाई के विस्तार से राज्य सरकार को राजस्व के साथ–साथ क्षेत्र में समाजिक आर्थिक विकास भी होगा। उन्होंने बताया कि इकाई के विस्तार हेतु भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन दिया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत टी.ओ.आर. के आलोक में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा यह लोक–सुनवाई आयोजित की गयी है। इस लोक–सुनवाई की सूचना राज्य पर्षद् द्वारा दिनांक–08.05.2018 में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दी गयी थी। इस सूचना के आलोक में क्षेत्र के महानुभावगण अपनी बात रखने हेतु उपस्थित हुए है।

परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिये गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं।

1. **श्री राघवेन्द्र पाटक, ग्राम–चमुआ** ने बताया गया कि इकाई का विस्तार क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ है। किसानों द्वारा अच्छी गन्ने की पैदावार से खुशी है। इन्होंने इकाई के विस्तार का समर्थन किया। साथ ही इकाई प्रबंधन से विस्तार के कारण पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर कोई कुप्रभाव न पड़े, इसकी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

2. **श्री विजय कुमार पांडेय, ग्राम–बइनीहार** ने बताया कि हरिनगर स्थित चीनी मिल एवं डिस्टलरी इकाई द्वारा अब तक क्षेत्र के पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। इसलिए इकाई प्रबंधन धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने बताया कि डिस्टलरी इकाई से जनित बहिश्राव के उपचार के तहत बायो–गैस का जनन एवं इसका ईंधन के रूप में उपयोग से जीवाश्म ईंधन की खपत घटेगी तथा कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। क्षेत्र की समृद्धि इस स्थानीय इकाई से है। इस इकाई से प्रदूषण की कोई समस्या नहीं होगी। मिल

प्रबंधन से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की भी अपील करता हूँ। इनके द्वारा इकाई के विस्तार का समर्थन किया गया।

3. **श्रीकान्त पाठक, ग्राम–मुरेरा** ने बताया कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए दो पैमाने होते हैं, कृषि एवं उद्योग। इस रामनगर क्षेत्र के निवासी/जनता सौभाग्यशाली है कि यह इकाई उनके क्षेत्र में स्थापित है। उनके कारण क्षेत्र के किसानों एवं अन्य जुड़े लोगों के समाजिक आर्थिक की स्थिति काफी विकास हुआ है। मिल प्रबंधन के प्रयास से क्षेत्र में गन्ना के उत्पादन में क्रांति आयी है। इन्होंने क्षेत्र का कायाकलप कर दिया है। प्रदूषण की स्थिति में काफी बदलाव आया है। अब चिमनी उत्सर्जन नहीं दिखता है। नदी जल की भी प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है। समाजिक दायित्व के तहत जनता के कल्याणार्थ भी कार्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके विस्तार का समर्थन करता हूँ।

4. **श्री ओबैदूल रहमान, भूतपूर्व शिक्षक, रामनगर** ने बताया कि यह बहुत अच्छा अवसर आया है कि डिस्टलरी इकाई की उत्पादन क्षमता एवं कैप्टिव पावर का विस्तार करने की योजना बनायी गयी है। फैक्ट्री के चलने के समय छत पर कपड़ा नहीं सूखा पाते है तथा वायु प्रदूषण की समस्या दिखायी पड़ती है। इससे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। मैं विस्तार का समर्थन करता हूँ परन्तु, इकाई प्रदूषण को पूर्णतः नियंत्रित करना होगा।

5. **श्री विनोद आर्य, ग्राम–बखरी पचरुखिया** ने बताया कि प्रदूषण के बारे में श्री रहमान जी के वकतव्य से मैं सहमत नहीं हूँ। यह पहले होता होगा पर आज की स्थिति ऐसी नहीं है। इस इकाई से कोई प्रदूषण की समस्या नहीं है। इकाई के विस्तार हेतु मैं अपनी तरफ से तथा पूरे किसान भाईयों के तरफ से पूर्ण समर्थन देता हूँ। आशा करता हूँ कि सरकार अविलंब इस विस्तार के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करें।

6. **श्री चन्द्रभूषण शर्मा, ग्राम–विलासपुर** ने बताया कि इस क्षेत्र में स्थापित इस इकाई द्वारा किया जा रहा प्रयास काफी सराहनीय है। इनकी पहल पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में रहता है। हम विस्तार का समर्थन करते है। विकास होना चाहिए। इसके विस्तार से स्थानीय निवासियों के समाजिक आर्थिक स्तर में और विकास होगा। अतः मेरा निवेदन है कि इनके विस्तार हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाय।

7. **श्री मधुसूदन अग्रवाल, ग्राम–रामनगर** ने बताया कि इकाई के संचालन से क्षेत्र के लोगों का समाजिक आर्थिक स्तर बढ़ा है। इकाई को प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था का संचालन सुनिश्चित रखना चाहिए। इनके द्वारा इकाई का क्षमता विस्तार का समर्थन किया गया।

8. **श्री सदाकान्त शुक्ला, भूतपूर्व शिक्षक, ग्राम–सिलवटिया बइगो** ने बताया कि इकाई के पास गुजरने वाली रामरेखा नदी प्रदूषित नहीं दिखती है। उन्होंने प्रबंधन से ध्वनि प्रदूषण के बारे में किये गये उपाय जानना चाहा। इनके द्वारा क्षमता विस्तार का समर्थन किया गया।

9. **श्री रंजन उपाध्याय, ग्राम–छंगुरही बंजरिया** ने बताया कि उन्होंने ने क्षेत्र का क्रमिक विकास देखा है। उन्होंने बताया कि उद्योगों का लगना अच्छी बात है परन्तु, पर्यावरणीय मानको को अनुपालन करना भी आवश्यक है। उनके द्वारा भू–गर्भीय जल के प्रदूषण नियंत्रण हेतु बनायी गयी व्यवस्था जानना चाहा तथा क्षमता विस्तार का समर्थन किया गया।

10. **श्री गौतम प्रसाद राय, ग्राम–छंगुरही बंजरिया** ने बताया कि इस इकाई के द्वारा बनायी गयी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था से पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विस्तार होने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जनता को ही लाभ मिलेगा। इथेनॉल के उत्पादन होने से पेट्रोल की कीमत में कमी आ सकती है। इनके द्वारा इकाई के विस्तार का समर्थन किया गया।

11. **श्री सलाउद्दीन, ग्राम–रामनगर** ने बताया कि विकास के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण का कार्य होना चाहिए। इसके विस्तार से क्षेत्रवासी काफी लाभान्वित होंगे। यदि कोई प्रदूषण होता है तो सरकार को उसके जांच करानी चाहिए। इनके द्वारा इकाई के विस्तार का समर्थन किया गया।

12. **श्री मधुकर राय, ग्राम–बिलासपुर** ने बताया कि इकाई का क्षमता का विस्तार किया जाय। इसकी शत–प्रतिशत सहमति है परन्तु, प्रदूषण के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इकाई को परिसर के अन्दर की तरफ बाहरी क्षेत्रों में भी वृक्षरोपण पर ध्यान देना चाहिए। चीनी मिल के सीजन चलने से सड़कों पर गन्ने के परिवहन वाहनों के कारण यातायात काफी बाधित होता है। अतः प्रबंधन को इन समस्यों का निदान भी ढूढना चाहिए। इकाई को समाजिक दायित्व के तहत आस–पास के क्षेत्रों को साफ–सुथरा रखने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। स्थानीय

लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इनके द्वारा इकाई के विस्तार का समर्थन किया गया।

13. **श्री बेचू यादव, ग्राम–सौनाहा** ने बताया कि मिल का विकास के साथ–साथ किसान का भी विकास होना चाहिए। इन्होंने बताया कि छाई के नियंत्रण व्यवस्था समुचित होनी चाहिए। उन्होंने किसान के कल्याण हेतु कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि क्षमता विस्तार होना चाहिए परन्तु, किसानों का कल्याण की भी बात होनी चाहिए। इनके द्वारा इकाई के विस्तार का समर्थन किया गया।

14. **श्री विनोद उपाध्याय, ग्राम–आर्यनगर, रामनगर** ने बताया कि पर्यावरणीय मानको का अनुपालन कराना राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् की जिम्मेवारी है। यह एक आदर्श फैक्ट्री है। इसका विस्तार किया जाना चाहिए। विस्तार होने से इथेनॉल का उत्पादन अधिक होगा तो देश में पेट्रोल का आयात कम होगी। परिणामतः देश के विदेशी मुद्रा का बचत होगी। इनके द्वारा इकाई के विस्तार का समर्थन किया गया।

15. **श्री प्रभूनाथ कुशवाहा, ग्राम–डकहवा** ने बताया कि इकाई को और अधिक हरित पट्टी का विकास किया जाना चाहिए। इनके द्वारा इकाई के विस्तार का समर्थन किया गया।

उक्त लोगों के द्वारा दिये गये सुझाव एवं पूछे गये प्रश्न के आलोक में श्री हिमांशु तेनेजा, परियोजना के तकनीकी सलाहकार ने बताया कि भूमि–जल के प्रदूषण की कोई समस्या नहीं होगी। इकाई द्वारा पानी का अधिकतम पुनः उपयोग किया जायेगा तथा कोई प्रदूषित जल भूमि पर निस्सरित नहीं किये जायेंगे। उन्होंने ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु किये गये प्रयास की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ध्वनि प्रदूषण के लिए स्थापित मानकों को पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। हरित पट्टी का विकास किया जायेगा। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ब्यॉलर से जुड़े चिमनी के साथ इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपीटेटर स्थापित किये जायेंगे ताकि उत्सर्जन मानक सीमा के अन्दर रहे। जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु बायोमिथिनेशन, मल्टी इफेक्ट इभैपेरेटर के पश्चात जैविक खाद बनायी जायेगी। इकाई परिसर के बाहर किसी प्रकार के औद्योगिक बहिश्राव का जनन नहीं होगा। इकाई द्वारा शून्य बहिश्राव की स्थिति बनायी जायेगी।

मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक श्री एस.एल. बाहेती द्वारा उपस्थित जन–समुदाय को लोक सुनवाई में

उपस्थित होने पर धन्यवाद दिया गया साथ ही उनके द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि इस इकाई के प्रस्तावित विस्तार से स्थानीय जनता एवं काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित जन-सामान्य द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार करने की सहमति जतायी गयी।

अध्यक्ष द्वारा लोक-सुनवाई के पश्चात् जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इकाई के क्षमता विस्तार के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गयी तथा लोक-सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गयी।

अनिलकु० 14.06.18	14/6/18	14/6/18
(अनिल कुमार)	(एस.एन. जायसवाल)	(अंसार अहमद)
क्षेत्रीय पदाधिकारी	पर्षद् विश्लेषक	अपर समाहर्त्ता
मुजफ्फरपुर, बि.रा.प्र. नि.पर्षद्।	बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, पटना।	पश्चिमी चम्पारण।